सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारी, केकड़ीजिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –132/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. ममता पत्नि स्व. गोपाल
2. सीताराम पुत्र स्व. गोपाल
3. सुनिता पुत्री स्व. गोपाल

समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.
3. सीमा पुत्री स्व. रामकिशन
4. शीला पुत्री स्व. रामकिशन
5. मनभर पत्नि स्व. अर्जुन
6. सोनू पुत्र स्व. अर्जुन
7. महेन्द्र पुत्र स्व. अर्जुन

समस्त जाति बैरवा निवासीगण पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–14.5.18

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप मे ंविवरण निम्नानुसार है।

अपीलांटी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि अपील में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 549 के खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.13 है. किस्म बारानी 2 , खसरा नम्बर 3307 रकबा 0.23 है. किस्म चाही 2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.36 है. दर्ज है. जो कि जमाबन्दी संवत 2065–68 में खसरा नम्बर 1891 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 3307 में 1/4 हिस्सा खातेदारी अपीलांटी के पूर्वज गोपाल पुत्र नन्दा की खातेदारी में दर्ज था। उक्त आराजीयात में अपीलांट के पिता स्व. गोपाल को नाऔलाद बताकर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1590 दिनांक 20.07.2011 से रेस्पोडेंट 3 व 4 के पिता रामकिशन पुत्र देवी व रेस्पोडेंट संख्या 5 मनभर पत्नि अर्जुन के नाम 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार का नामान्तकरण दर्ज हुआ जो गलत एवं अवैधानिक है। अतः नामान्तकरण संख्या 1590 को शुन्य प्रभावहीन घोषित किये जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है एवं स्व. गोपाल पुत्र नन्दा के विधिक वारिसान के नाम विरासत से राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज कर रेस्पोंडेंट 3 से 5 का नामा विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। तलबी हेतु रेस्पोडेंट की और से कोई उपस्थित नहीं । पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारा में पेश हुई । पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार केकड़ी का जवाब प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकार को सूना। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 549 के खसरा नम्बर 1891 रकबा 1. 13 है. किस्म बारानी 2 , खसरा नम्बर 3307 रकबा 0.23 है. किस्म चाही 2, कुल किता 2 कुल रकबा 2.36 है. में गोपाल के फोत होने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 1590 दिनांक 20.07.2011 से रामकिशन पुत्र देवी हिस्सा 1/2 मनभर पत्नि अर्जुन हिस्सा 1/2 कौम बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज हुआ जो गलत है। गोपाल के विधिक वारिसान जीवित होने से उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई

अतः वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 549 के खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.13 है. किस्म बारानी 2,खसरा नम्बर 3307 रकबा 0.23 है. किस्म चाही 2, कुल किता 2 कुल रकबा 2.36 है. में गोपाल के फोत होने के बाद गोपाल को नाऔलाद बताकर जरिये नामान्तकरण संख्या 1590 दिनांक 20.07.2011 हेतु तहसीलदार केकड़ी निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 14.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्डअधिकारी
केकडी